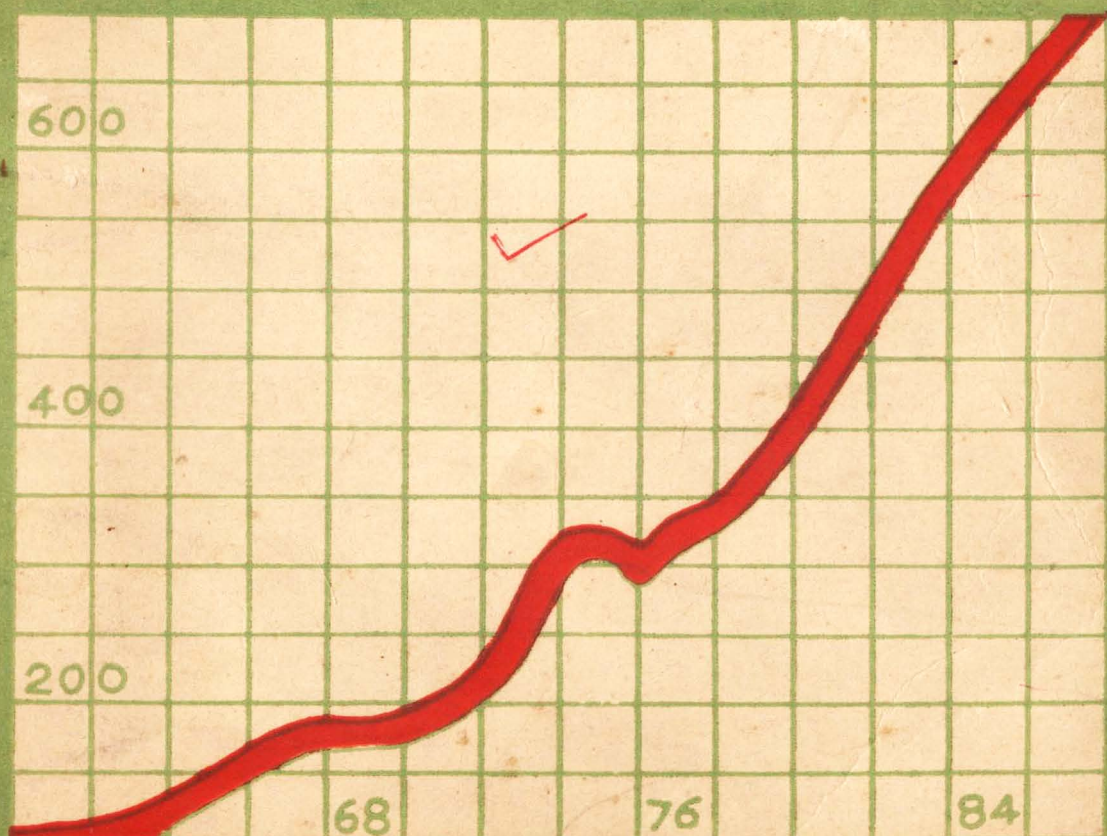


उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नयी श्रृंखला

(1982-100)

छलपूर्ण सूचकांकों को जारी रखने की कोशिश
औद्योगिक मजदूरों के महंगाई भत्ते पर खुला हमला



सेन्टर आफ इन्डियन ट्रेड यूनियंस

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नयी श्रृंखला

(1982-100)

M. K. PANDHE.

Secretary (C. I. T. U.)

भारत सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को 1982=100 के आधार पर एक नयी श्रृंखला लागू करने का फैसला किया है। उन लाखों मजदूरों पर जिनका महंगाई भत्ता मूल्य से जुड़ा है इसका खतरनाक असर पड़ेगा। नई श्रृंखला लागू कर दिये जाने के बाद वर्ष 1960 पर आधारित मौजूदा श्रृंखला खत्म कर दी जाएगी और नये सूचकांक से एक परिवर्तन-गुणक की मदद से मौजूदा सूचकांक निकाला जाएगा। अंततः यदि भारत सरकार मजदूर वर्ग पर मूल्य सूचकांक की नयी श्रृंखला थोपने में कामयाब हो जाती है तो भविष्य में मजदूरों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में काफी कमी आएगी। पूंजीपति वर्ग पहले ही मजदूरों को महंगाई की पूरी भरपाई देने से इंकार करता रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को निचले स्तर पर तो करीब-करीब पूरी भरपाई मिलती है लेकिन क्योंकि मात्रा तो सभी के लिए एक समान है इसलिए ज्यादा वेतन पाने वालों को बहुत ही कम दर पर भरपाई मिलती है। ऐसे कई उद्योग हैं जिनमें मजदूरों को आज भी समहित या स्थिर वेतन दिया जाता है जो मूल्य सूचकांक के साथ किसी भी तरह से जुड़ा नहीं है। कुछ उद्योगों में, जहां महंगाई भत्ता कूल्य सूचकांक के साथ जुड़ा है, भरपाई की दर बहुत ही कम है जिसके कारण कीमतों में बढ़ोत्तरी के साथ मजदूर वर्ग का जीवन-स्तर लगातार गिरता जा रहा है।

केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने नयी दिल्ली में 8 जनवरी 1987 को केंद्रीय टेड यूनियनों के साथ एक बैठक आयोजित की। इसमें सभी टेड यूनियनों ने नयी श्रृंखला को एकतरफा लागू करने का विरोध किया। श्रम मंत्रालय के अफसरों ने नयी श्रृंखला लागू करने के सवाल पर स्थानीय टेड यूनियनों के साथ बातचीत करने के लिए विभिन्न केन्द्रों में पहले ही बैठकें आयोजित की हैं। इन बैठकों में भी टेड यूनियनों ने मूल्य सूचकांक निर्धारित करने के लिए अपनाए गये तरीके के गैर विज्ञानिक चरित्र पर अपने शक जाहिर किये।

भारत सरकार ने पहले भी 1978 में मूल्य सूचकांक की एक नयी श्रृंखला, जिसका आधारवर्ष 1971 था, को लागू करना चाहा था। टेड यूनियनों ने उसका पुरजोर विरोध किया और भारत सरकार को अपने इस इरादे को वापस लेना पड़ा। इस बार भी टेड यूनियन आंदोलन को अथक प्रयास करने पड़ेंगे ताकि महंगाई भत्ते पर हमले का समूचे देश में पुरजोर विरोध किया जा सके।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

हमारे देश में काफी अरसे से टेड यूनियन आंदोलन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के खिलाफ संघर्ष करता आया है क्योंकि यह सूचकांक अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों में वास्तविक वृद्धि को नहीं दर्शाता था। विभिन्न केन्द्रों में कई मौकों पर टेड यूनियनों ने कहा है कि वास्तविक जीवन में मजदूर कीमतों में वृद्धि के शिकार होते हैं लेकिन मूल्य सूचकांक में गिरावट दिखई जा रही है। आमतौर पर सरकार यह कह कर इन संघर्षों को नजरअंदाज कर देती है कि ये संघर्ष मूल्य सूचकांक के निर्धारण के तरीके के बारे में टेड यूनियन आंदोलन की नासमझी के कारण पैदा होते हैं। लेबर ब्यूरो के अफसरान मजदूरों की व्यावहारिक अनुभव से उत्पन्न भावनाओं का वास्तविक नजरिया लेने की बजाए इस बात पर जोर देते फिर रहे हैं कि मूल्य सूचकांक को किस तरह वैज्ञानिक ढंग से तय किया गया है। बंबई में जब 1963 में मूल्य सूचकांक के

वैज्ञानिक ढंग से तय किया गया है । बंबई में जब 1963 में मूल्य सूचकांक के खिलाफ संघर्ष शुरू किया गया तो कई तर्क दिए गए थे । लेकिन महाराष्ट्र सरकार को लकड़ाताना समिति नियुक्त करने पर मजबूर किया । इस समिति को यह स्वीकार करना पड़ा कि सूचकांक में 21 बिंदुओं की गलती थी । अहमदाबाद केंद्र के लिए देसाई समिति की नियुक्ति भी शहर के कपड़ा मजदूरों की हड़ताली कार्यवाही की धमकी के बाद ही की गयी । इस समिति ने भी सूचकांक को गलत पाया तथा कुछ गलतियाँ सुधारी गयी । इन दोनों सूचकांकों को राज्य सरकारों ने तय किया था । जब दिल्ली में 1966 में विशेषज्ञ समिति नियुक्त किए जाने की मांग ने जोर पकड़ा तो भारत सरकार विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने को तैयार नहीं हुयी । यह तर्क दिया गया कि राज्य सरकारों द्वारा तय किया गया सूचकांक गलत था लेकिन लेबर ब्यूरो द्वारा तय किया गया सूचकांक वैज्ञानिक है । लेकिन जब मजदूरों ने हड़ताल की धमकी दी तो केन्द्रीय सरकार को इस सवाल पर एक समिति नियुक्त करनी पड़ी । इस समिति ने भी सूचकांक को गलत पाया और उसमें कुछ सुधार किए गए ।

मजदूर वर्ग के हड़ताली आंदोलनों के बाद चार केंद्रों के लिए राममूर्ति समिति की नियुक्ति की गयी । जिन केंद्रों में ट्रेड यूनियन आंदोलन अपना पूरा असर नहीं दिखा सका, वहाँ सूचकांक में कोई परिवर्तन नहीं आया । ये सभी विशेषज्ञ समितियाँ सूचकांक तय किए जाने के सभी पहलुओं की बारीकियों में न जा सकी । वे केवल सूचकांक में सबसे ज्यादा चौंका देने वाली गलतियाँ ही बता सकी । उन्होंने कुछ तथ्य संशोधन सुझाए और सूचकांक में बाकी गलतियाँ बनी रही तथा उन्हें सुधारा नहीं गया । 1949/1944 की श्रृंखला में पूरी तरह संशोधन किए बिना 1960 की श्रृंखला लागू कर दी गयी जिसके कारण परिवर्तन-गुणकखंड कम रहे ।

बढ़ता अविश्वास

सूचकांक तय करने वाली मशीनरी से संबद्ध सांख्यिकी विशेषज्ञ उस प्राथमिक चीज को भी महसूस नहीं कर सके जिसे कोई आम मजदूर खुद अपनी आंखों से देख सकता था । इसलिए मजदूर वर्ग व ट्रेड यूनियन आंदोलन का मूल्य सूचकांक के प्रति अविश्वास और भी ज्यादा बढ़ गया । उदाहरण के लिए अधिकृत-सांख्यिकी ने मिश्रित ग्रुपों के लिए 1944 की श्रृंखला के लिए कलकत्ता के सूचकांक का काफी लंबे अरसे तक 150 बिंदु पर स्थिर किए जाने को जायज ठहराया ।

शुद्ध-घी की बजाए वनस्पति घी की कीमतों को लिए जाने तथा कपड़ों की कुछ चीजों की कीमतों को कई महीनों तक बार बार दोहराने को जायज ठहराया गया जबकि बाजार में उनके दाम बढ़ रहे थे । कुछ केंद्रों में कई दशकों तक आवास सूचकांक 100 ही रखा गया जिससे सूचकांक तय करने का लक्ष्य ही नाकामयाब हो गया । कलकत्ता में आठवें दशक के शुरू में मध्यम दर्जे की साड़ी के जोड़े की कीमत साढ़े आठ रुपये दिखाई गयी । इसके कारण पश्चिम बंगाल के कपिलेश्वरी श्रम मंत्री ने सूचकांक की असलियत के सवाल पर एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की । आश्चर्य में डालने वाले ये तो कुछ ही उदाहरण हैं लेकिन ऐसे अनेक उदाहरण यहां दिए जा सकते हैं । एक चीज की जगह दूसरी को गलत ढंग से श्रेय देने तथा एक दर्जे की चीज

की जगह दूसरे दर्जे की चीज के दाम लिखने ने मजदूरों के लिए इस समस्या को और भी गंभीर बना दिया । आश्चर्य की बात है कि सांख्यिक नजरिये से इन सभी तरीकों को जायज ठहराया गया । और जब कभी भी मजदूरों व ट्रेड यूनियनों ने अपनी शंका जाहिर की तो सीधा यह जवाब दिया गया कि ये मामले तकनीकी हैं और तकनीकी विशेषज्ञ ही इन पर विचार करेंगे ।

कई बार जब ट्रेड यूनियनों ने राज्य श्रम विभाग से कोई जानकारी मांगी तो विभाग ने यह जानकारी देने से इंकार कर दिया । जब कलकत्ता केंद्र के लिए सूचकांक समिति का गठन किया गया, सी आई टी यू की पश्चिम बंगाल कमेटी कग्रेसी शासन के तहत राज्य श्रम विभाग से कीमतें इकट्ठा करने की अनुसूची की एक प्रतिलिपि प्राप्त नहीं कर सकी । लेबर ब्यूरो को लिखे गए पत्रों का अनेक बार जवाब नहीं मिला । आपातकाल में, जैसा कि देश के सामाजिक व आर्थिक जीवन के सभी पहलुओं में हुआ, मजदूरों के लिए यह मामला बहुत ही असहनीय हो गया । उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी अधिनायकवाद का शिकार हुआ । कीमतों को कम करने के सरकार के घोषित निश्चय, तत्कालीन प्रधान मंत्री व अन्य अधिकृत प्रवक्ताओं को बार बार इस धमकी के बावजूद कि व्यापारियों के साथ सख्ती से निबटा जाएगा और कुछ व्यापारियों की सांकेतिक गिरफ्तारी से कीमतों में कमी नहीं आई जैसा कि तत्कालीन सरकार ने दावा किया था । लेकिन मूल्य सूचकांक इस दौरान कम हो गया क्योंकि चालबाज दुकानदार सूचकांक मशीनरी को केवल अधिकृत कीमतें ही बताते थे । कभी कभी तो प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू किए जाने के हिस्से के रूप में कीमतें कम किए जाने की बोगस घोषणाएं की गईं । दुकानों पर टांगी गई कीमत-सूची केवल अधिकृत इंसपेक्टरों के लिए थी, उपभोक्ताओं के लिए नहीं । मजदूरों के महंगाई भत्ते में भारी कटौती कर दी गई जबकि वास्तविक जीवन में कीमतों में तदनुरूप कटौती नहीं हुई । कुछ उद्योगों में तो महंगाई भत्ते में कटौती चालीस रुपये महीना थी ।

अपातकालीन नियमों का प्रयोग

इस भेदे मज़ाक के खिलाफ चारों तरफ असंतोष फैला लेकिन आपातकालीन कानूनों के कारण मजदूर वर्ग इसका प्रतिरोध नहीं कर सका । सी आई टी यू तथा कुछ अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने आपातकाल के दौरान भी अपनी प्रतिरोध की आवाज बुलंद की लेकिन सरकार के कान पर जुं तक नहीं रेंगी । लेबर ब्यूरो ने, जिसके ऊपर मूल्य सूचकांक बनाने की जिम्मेदारी है, खुलेआम मालिकान की तरफदारी की । पश्चिम बंगाल की तत्कालीन सरकार द्वारा नियुक्त भट्टाचार्य समिति की रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद ट्रेड यूनियनों को यह देख कर धक्का लगा कि इंडिया जूट मिल्स एसोसिएशन ने पश्चिम बंगाल सरकार को तथा लेबर ब्यूरो के निदेशक ने केंद्र सरकार को इस विषय पर उसी तरह के नोट दिए । पश्चिम बंगाल की तत्कालीन कग्रेसी सरकार ने राज्य में विशेषज्ञ समिति को सिफारिशों के अनुसार 64 रुपये की बजाए केवल 16 रुपये अतिरिक्त महंगाई भत्ता स्वीकार करने के लिए मजदूरों को मजबूर किया। महंगाई भत्ते में इस भारी कटौती को थोपने के लिए राज्य सरकार ने भारतीय सुरक्षा नियम (डी आइ अर) के तहत नोटिफिकेशन जारी किया । लेबर ब्यूरो जैसी महत्वपूर्ण संस्था के निदेशक की साख पहले कभी भी इतनी खराब नहीं हुई थी । बाद

में सी बी आई की जांच के पश्चात् इस निदेशक की पदावधि दी गई । फिर ट्रेड यूनियनों के दबाव के कारण भारत सरकार को इस व्यक्ति को बर्खास्त करना पड़ा ।

दिल्ली में मूल्य सूचकांक पर विशेषज्ञ समिति द्वारा सरकार को रिपोर्ट दिए जाने के बाद सरकार ने रिपोर्ट को स्वीकार करने की बजाए इसे एक तथाकथित तकनीकी परामर्श समिति को सौंप दिया । इस समिति ने लेबर ब्यूरो द्वारा तैयार किए गए एक नोट के आधार पर मनमाने ढंग से सूचकांक में सुधार की मात्रा को कम कर दिया और इस प्रकार विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाई गई सुविधाओं से मजदूरों को वंचित कर दिया गया । मजदूरों के दिल में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की साख काफी कम हो गई क्योंकि उनके साथ अपनी सख्त मेहनत से कमाए गए मंहगाई भत्ते के करोड़ों रुपये का धोखा किया गया । उदाहरण के लिए, यदि मौजूदा 1960 = 100 श्रृंखला के मूल्य सूचकांक में 1 बिंदु की गलती है तो केवल सार्वजनिक क्षेत्र के ही कर्मचारियों को चार करोड़ रुपये से भी ज्यादा की सालाना हानि होती है । यदि समूचे मजदूर वर्ग को हुई कुल हानि आंकी जाए तो यह राशि आसामान छूने लगेगी ।

रथ कमेटी की सिफारिशें

सी आई टी यू व अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 1977 में तत्कालीन श्रम मंत्री श्री रवीन्द्र वर्मा द्वारा 18 अप्रैल को बुलाई गई बैठक में तथा उसी वर्ष आयोजित त्रिपक्षीय सम्मेलन में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त करने पर जोर दिया था । इसके कारण भारत सरकार ने गोखले इंस्टीच्यूट ऑफ पोलिटिक्स एंड इकोनोमिक्स के प्रोफेसर श्री नीलकंठ रथ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया । समिति को निम्नलिखित मुद्दे सौंपे गए थे :

- (i) औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के विभिन्न पहलुओं का पुनरीक्षण करना जिसमें भारण-चित्र के निर्धारण के लिए मापदंड व तरीका, योजक गुणक, सूचकांक के संकलन का तरीका व कीमतें इकट्ठा करने की प्रणाली शामिल हैं ।
- (ii) (क) मौजूदा कीमतें इकट्ठा करने के तरीके व मशीनरी का;
(ख) कीमतें इकट्ठा करने के काम में ट्रेड यूनियनों तथा मालिकान के प्रतिनिधियों को शामिल करने की वांछनीयता तथा उसके तरीके का अध्ययन करना व उस पर रिपोर्ट देना; और
- (iii) उपरोक्त विषयों पर सिफारिशें देना ।

सूचकांक की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के बाद समिति ने एक मत से यह सिफारिश की कि अगस्त 1977 के लिए अखिल भारतीय सूचकांक 327 के बजाए 334 होना चाहिए । सूचकांक को तय करने व उसके संकलन के सभी पहलुओं में ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों को शामिल किए जाने के लिए समिति की एकमत सिफारिशों ने जोर दिया । समिति ने यह भी सुझाव दिया कि अखिल भारतीय स्तर पर

एक स्टैंडिंग एडवाइजरी कमेटी बनाई जाए, जिसमें ट्रेड यूनियनों व मालिमान के संगठनों के प्रतिनिधि, तकनीकी परामर्श समिति के अध्यक्ष, तथा लेबर ब्यूरो के निदेशक शामिल हों। रथ समिति ने कहा कि यह समिति व्यापक मुद्दों पर परामर्श का एक मंच होगी। इसने यह भी सुझाव दिया कि ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ राज्य स्तर की भी स्टैंडिंग कमेटियां बनाई जाएं जो कीमतों के आंकड़ों आदि की जांच करने के लिए महीने में एक बार बैठक आयोजित किया करे। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि कीमतें इकट्ठा करने की मशीनरी में भी ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों को प्रेक्षक के रूप में शामिल किया जाए। जहां कहीं भी तीन से ज्यादा बाजारों से कीमतें इकट्ठी की जाती हैं उसके लिए समिति ने कीमतें इकट्ठा करने की मशीनरी में सुधार के लिए कई कदम उठाने का सुझाव दिया ताकि सूचकांक अधिक विश्वसनीय हो। समिति ने अपनी सिफारिशें भारत सरकार को 4 फरवरी 1978 को दी, ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों (एम के पंधे और बी एन साठे) ने समिति की रिपोर्ट पर मतभेद का एक नोट लिखा कि समिति द्वारा सुझाए गए सुधार केवल आंशिक हैं और सूचकांक के संकलन में धोखाधड़ी के सभी पहलुओं पर ठीक तरह से विचार नहीं किया गया है।

काले बाजार की कीमतें इकट्ठा करना

उन केंद्रों में जहां कानूनी तौर पर राशनिंग है या जहां अनिवार्य वस्तुओं की कीमतें नियंत्रित की गई हैं, भारी काला बाजारी व्याप्त है और मजदूरों को वस्तुओं की कमी की स्थिति में सरकारी आदेशों द्वारा तय की गई कीमतों से कहीं ज्यादा कीमतें देने के लिए मजबूर किया जाता है। जब तक उन दामों को जिन पर मजदूरों द्वारा असलियत में चीजें खरीदी गई हैं इकट्ठा नहीं किया जाता तब तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कीमतों की वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित नहीं करेगा। इसके परिणामस्वरूप, मजदूरों को महंगाई भत्ता कम मिलता है और उन्हें जबरन किसी न किसी चीज की खपत कम करनी पड़ती है। इसी लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई एल ओ) के श्रम सांख्यिकीविदों के सम्मेलन ने कहा है कि कीमतों को नियंत्रित किए जाने या राशनिंग के दौरान जहाँ कहीं भी खुलेआम उन ग्रुपों की चीजों के गैरकानूनी कीमतें ली जा रही हैं जिनपर सूचकांक लागू होता है तो वहां नियंत्रित कीमतों के साथ साथ ऐसी गैरकानूनी कीमतों पर भी ध्यान में लेना चाहिए।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर लेबर ब्यूरो के एक प्रकाशन के मुताबिक, “अपनी जरूरत की राशन की तथा नियंत्रित चीजों की खरीद के लिए सरकारी नियंत्रित दुकानों के अलावा यदि मजदूर वर्ग खुले बाजार या काले बाजार को संरक्षण देता है तो दोनों ही की कीमतों को, अर्थात्, नियंत्रित कीमतों और काले बाजार या खुले बाजार की कीमतों को इकट्ठा किया जाता है और दोनों ही तरह की कीमतों का औसत भार निकाला जाता है; यहां औसत भार का अर्थ है दोनों ही स्रोतों से की गई खरीद का अनुमानित अनुपात।” लेकिन क्योंकि विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं थी इसलिए रथ समिति इसकी कार्यप्रणाली पर विचार नहीं कर सकी। यदि इन कीमतों को इकट्ठा करने का अनुभव मिल जाता तो तकनीकी परामर्श समिति द्वारा इस प्रक्रिया को खत्म करने के औचित्य पर विचार करने में मदद मिलती।

काले बाजार से कीमतें इकट्ठा करने के काम को अव्यावहारिक नहीं समझना चाहिए। यह इस तथ्य से भी साबित होता है कि लेबर ब्यूरो इन कीमतों को एक बार इकट्ठा कर रहा था। काला बाजारी कीमतों के मामले में कुछ चुनी हुई दुकानों से खुलेआम ये कीमतें इकट्ठा करना संभव नहीं होगा। इसलिए इन कीमतों को सीधे उपभोक्ता से ही प्राप्त करनी होंगी। क्योंकि ये, अनिवार्य चीजें हैं इसलिए मजदूरों को नियमित रूप से काले बाजार से खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसलिए इन कीमतों को नियमित रूप से इकट्ठा करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अतः 1952 के आसपास के समय की लेबर ब्यूरो की प्रक्रिया को फिर से शुरू करना चाहिए और इस प्रक्रिया से मिले अनुभव को इन कीमतों को इकट्ठा करने में आने वाली दिक्कतों को दूर करने में इस्तेमाल करना चाहिए।

कानूनी राशनिंग किए जाने के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई की जाने वाली चीजों की क्वालिटी में काफी गिरावट आई है। कुछ विशेषज्ञों ने यह कहा है कि राशन की चीजों की क्वालिटी में गिरावट को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त संयोजन किया जाना चाहिए था। लेबर ब्यूरो (1961) द्वारा प्रकाशित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की एक गाइड में कहा गया है कि जब खाद्यान्न, चीनी, आदि के स्थायी तौर पर उचित दर की दुकानों से वितरण की प्रणाली लागू की जाती है, तब ऐसी कीमतों को लिया जाता है जो सूचकांक के लिए तय की गई क्वालिटी और उचित दर दुकानों पर बेची जाने वाली वस्तुओं की क्वालिटी के बीच फर्क को निकाल कर प्राप्त होती हैं। (पृष्ठ-21) (इस प्रक्रिया को स्प्लाइसिंग या संयोजन कहते हैं—सं)

उचित संयोजन न होने पर, आधार वर्ष में अच्छी क्वालिटी की चीज तथा मौजूदा समय की घटिया क्वालिटी की चीज में तुलना हो जाती है। इसके कारण सूचकांक कम हो जाता है। इसलिए यह समझ में नहीं आता कि लेबर ब्यूरो राशन की चीजों की कीमतों को उचित संयोजन के बिना सूचकांक के लिए क्यों शामिल कर रहा है। लेबर ब्यूरो ने यह सूचना दी थी कि कुछ केंद्रों के लिए सातवें दशक के मध्यकाल की कीमतों के आंकड़ों के ब्यौरे के रिकार्ड अब ब्यूरो के पास उपलब्ध नहीं हैं। इस बारे में निष्कर्ष यही निकलता है कि यह रिकार्ड ब्यूरो के पास था लेकिन रथ समिति को नहीं दिया गया या इसे जानबूझकर नष्ट कर दिया गया। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने यह जानने की जरूरत नहीं समझी कि इस तरह का महत्वपूर्ण रिकार्ड कैसे गायब है। कम से कम ट्रेड यूनियनों को यह पता नहीं है कि इसके लिए कोई जांच शुरू की गई थी या नहीं। जब तक 1960 की श्रृंखला जारी है ब्यूरो को ये आंकड़े रखने चाहिए थे। इससे 1960 की श्रृंखला को सुधारने के लिए उपयुक्त मशीनरी बनाने की फौरी जरूरत पैदा होती है।

रथ समिति की इस बहुमत-सिफारिश ने, कि राशन की वस्तुओं की कीमतों का अतीत में उचित-संयोजन न किए जाने के कारण अब उसमें कोई सुधार न किया जाए, इस धोखाधड़ी पर लीपापोती की है। खाद्यान्न के सूचकांक को ठीक करने के लिए सूचकांक में सुधार करना जरूरी है।

कीमतें इकट्ठा करने में त्रुटियाँ

रथ समिति का यह जायजा कि कीमतें इकट्ठी करने का काम आमतौर पर ईमानदारी व सावधानी के साथ किया जा रहा है, इस बात को बढ़ाचढ़ाकर कहना है ।

कई मामलों में रथ समिति का ध्यान इस ओर खींचा गया कि लेबर ब्यूरो के अफसरान ब्यूरो के दिशा-निर्देशों के मुताबिक कीमतें इकट्ठी करने का काम ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं और वर्षाकाल में तो इस काम की और भी बुरी हालत होती है । कीमतें इकट्ठी करने का दिन यदि सरकारी छुट्टी हो तो कई अफसर अगले दिन कीमतें इकट्ठा करना पसंद करते हैं । अनेक मामलों में खराब होने वाली चीजों के दाम निर्धारित समय पर इकट्ठे नहीं किए जाते । जहां कहीं भी कीमतों का निरीक्षण उपयुक्त था, ऐसी गलतियां कम-से-कम रही हैं । लेकिन ऐसे राज्य भी हैं जहां निरीक्षण नाम की चीज नहीं थी ।

कीमतें इकट्ठी करने वालों की कुछ जायज व्यावहारिक दिक्कतों को भी नोट किया गया । उन्हें अपना काम दुकानदारों को नाराज किए बिना करना होता है क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वे सहयोग करना बंद न कर दें । उसका लगातार सहयोग प्राप्त करने के लिए उस द्वारा बताई गई कीमतों को उसे नोट ही करना पड़ता है । इसलिए यह जरूरी नहीं है कि ये कीमतें वे ही हों जिन पर उपभोक्ता चीजें खरीदते हैं । समय की कमी के कारण कुछ कीमतें इकट्ठी करने वाले अपना काम लापरवाही के साथ करते हैं । यात्रा भत्ते व पारिश्रमिक की मामूली अदायगी अपने काम के लिए उन्हें प्रोत्साहन नहीं देती ।

वर्ष 1960 पर आधारित श्रृंखला में सुधार के लिए मतभेद के नोट में निम्नलिखित बातें कही गयी हैं :

(क) राशन की चीजें : काला बाजारी कीमतों के बारे में हमने अपने विचार इस नोट में किसी और स्थान पर व्यक्त किए हैं । हम लेबर ब्यूरो द्वारा अपनाई गई उस सुधारक कार्यवाही को स्वीकार नहीं करते जिसमें उस चीज के भार को जिसकी सप्लाई कम है समूचे खाद्य ग्रुप में वितरित करने का प्रावधान है । काला बाजारी कीमतों को इकट्ठा करने का यह उचित विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि बाजार में मुक्त रूप से बिकने वाली चीजों की तुलना में ये कीमतें ज्यादा होंगी ।

हाल ही में वस्तुओं की क्वालिटी आरंभिक विशिष्टता की तुलना में काफी खराब हुई है । हम समिति के इस मत से सहमत नहीं हैं कि राशन की दुकानों से सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं की क्वालिटी में गिरावट के बावजूद अतीत में उचित संयोजन न किए जाने के कारण मौजूदा सूचकांक को ठीक नहीं किया जा सकता । इस काम के लिए आधार वर्ष में तय की गई विशिष्टताओं और मौजूदा विशिष्टताओं में सीधी तुलना की जा सकती है । उचित सुधार करने के लिए आधार वर्ष में तय की गई विशिष्टताओं वाली चीजों की कीमतों या उसके तुल्य वस्तुओं की कीमतें ली जा सकती हैं ।

(ख) कपड़ा : इसमें कोई शक नहीं है कि कपड़े की चीजों की कीमतें इकट्ठी करनी मुश्किल हैं क्योंकि इसकी कई किस्में बाजार में मिलती हैं । लेकिन, ज्यादातर मामलों में घटिया चीजों के दाम इकट्ठे किए जाते रहे हैं । सूचकांक को ठीक करने का कोई तरीका निकाला जा सकता है क्योंकि आरंभिक विशिष्टताओं व मौजूदा उपलब्ध विशिष्टताओं का ब्यौरा प्राप्त किया जा सकता है । इसलिए हम समिति के इस नजरिए के प्रति अपनी असहमति व्यक्त करते हैं कि अतीत के लिए या पिछले समय के लिए कपड़े के सूचकांक को सुधारा नहीं जा सकता ।

(ग) जूते आदि : हमारा यह मत है कि पिछले वर्षों में आम तौर पर घटिया जूतों आदि के दाम इकट्ठे किए जाते रहे हैं । उदाहरण के लिए, बाटा कंपनी ने, जो 1960 में चमड़े के जूते बनाती थी, चमड़े के जूतों के अंदर की लाइनिंग अब कन्वैस की या सिंथेटिक पदार्थ की कर दी है । इसकी वजह से कीमत में असल वृद्धि छुप गई है । शायद यही वह कारण है जिसकी वजह से कन्वैस के जूतों का 'मूल्य सापेक्ष' चमड़े के जूते के तुल्य लगता है । इसके कारण आरंभिक विशिष्टताओं तथा मौजूदा विशिष्टताओं में भी काफी फर्क है । इसलिए हम समझते हैं कि जूते आदि के सूचकांक में सुधार की जरूरत है ।

(घ) मात्रात्मक व गुणात्मक परिवर्तन

उपभोग की कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी 1960 से मात्रा व क्वालिटी या गुणों में काफी गिरावट आई है । समिति की यह सर्वसम्मत राय है कि सूचकांक के लिए ली जाने वाली चीजों की क्वालिटी में गिरावट की समस्या बिल्कुल सही है, लेकिन, कुछ यह महसूस करते हैं कि उपयुक्त आंकड़ों के बिना मौजूदा श्रृंखला को ठीक करने के लिए सुझाव देना कठिन है । वे प्रमुख चीजें जिनकी क्वालिटी में गिरावट आई है इस प्रकार है :

- 1 थाली
- 2 एक कप चाय
- 3 नमकीन नाश्ता
- 4 मिठाई
- 5 दूध

इस सबके अलावा मिलावट की समस्या भी गंभीर है क्योंकि इसकी वजह से भी कीमतों में असल बढ़ोतरी छुप जाती है । यह समस्या खाने के तेल, वनस्पति तेल, दूध, घी, मसालों आदि में ज्यादा गंभीर है ।

हम मानते हैं कि इस समस्या का समाधान आसान नहीं है । लेकिन, जब तक क्वालिटी में गिरावट के प्रभाव को सूचकांक से दूर करने के लिए उचित तरीका नहीं बनाया जाता तब तक वास्तविक स्थिति का पता नहीं लग सकता । समिति की इस सिफारिश से कि ऐसी वस्तुओं या इनसे बनी वस्तुओं के 'भार' को खादय ग्रुप में शामिल कर दिया जाए, स्थिति में केवल मामूली सुधार आएगा । इसलिए हम यह महसूस करते हैं कि पिछले वर्षों में मात्रा व क्वालिटी में गिरावट को दूर करने के लिए कोई तरीका

निकाला जाना चाहिए। नहीं तो मौजूदा श्रृंखला को नयी श्रृंखला के साथ जोड़ देने से मजदूरों को भारी नुकसान होगा।

लेकिन यदि कुछ चीजों की क्वालिटी में जबरन सुधार दिखाया गया और 'संयोजन' लागू कर दिया गया तो सूचकांक को वास्तविक नहीं माना जा सकेगा। इस संबंध में आई एल ओ की सिफारिशों का उदाहरण देना जरूरी है :

“ यदि किसी चीज़ का कोई करीबी अनुकल्प भी उपलब्ध नहीं है और उपभोक्ता के पास मंहगी चीज़ खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं है तो चाहे उस मंहगी चीज़ के उपयोग में कुछ अंतर क्यों न हो फिर भी कीमत के अंतर को बेहतर चीज़ के लिए दिए गए दाम नहीं माना जाना चाहिए बल्कि कीमत में परिवर्तन माना जाना चाहिए।” (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संकलन पर आई एल ओ की रिपोर्ट) (विशेष समस्याएं - पृ 91)

हालांकि हमने यह नोट किया है कि लेबर ब्यूरो ने कुछ चीजों के लिए इस पहलु का ध्यान रखा है, हम यह महसूस करते हैं कि हर चीज़ के मामले में इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए ताकि कीमतों की स्थिति को सही तरह से प्रदर्शित किया जा सके।

किसी वस्तु के सूचकांक में यह कह कर सुधार न करना गलत है कि कुल-सूचकांक पर इसका प्रभाव नाममात्र का होगा। ऐसी कई चीजों के सूचकांकों चाहे उपभोग-टोकरी में उनका भार कितना भी कम क्यों न हो, सूचकांकों में सुधारों का कुल जोड़ सार्थक हो सकता है।)

सील समिति की मनमानी

रथ समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए और नयी श्रृंखला शुरू करने के लिए भारत सरकार ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों से मुद्दों पर बातचीत किए बिना डा के सी सील, डायरेक्टर जनरल, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नयी दिल्ली, की अध्यक्षता में एक और समिति नियुक्त कर दी। इस समिति में केवल भारत सरकार के नुमाइंद थे और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों को इसमें शामिल नहीं किया गया। समिति के समक्ष विषयों पर विचार जानने के लिए यह समिति 40 व्यक्तियों से मिली। इनमें से कोई भी केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन से संबंधित नहीं था। इस प्रकार ट्रेड यूनियनों के विचारों को जाने बिना 1980-81 की श्रृंखला का बुनियादी ढांचा तैयार किया गया और सूचकांक की नयी श्रृंखला तैयार करने के काम में भारत सरकार जुट गयी। सील समिति ने बिना कोई वैज्ञानिक कारण बताए रथ समिति तक की कुछ जायज सिफारिशों को रद्द कर दिया। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस समिति का सदस्य-सचिव जिसने रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए थे डा सील समिति का भी सदस्य सचिव था जिसने पिछली समिति की सिफारिशों को रद्द कर दिया। इस प्रकार भारत सरकार किसी भी केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन से बातचीत किए बिना 1980-81 की श्रृंखला बनाने की पूरी तैयारी कर रही थी।

लेबर ब्यूरो ने केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों से बातचीत किए बिना विभिन्न केन्द्रों में ट्रेड यूनियनों को यह समझाना शुरू कर दिया कि किस प्रकार पारिवारिक बजट का अध्ययन किया जा रहा है। इन सभी मीटिंगों में ट्रेड यूनियनों ने मांग की कि इस विषय पर केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के साथ एक बैठक आयोजित की जाए। लेकिन भारत सरकार ने यह मांग ठुकरा दी और केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों से परामर्श किए बिना पारिवारिक बजट का अध्ययन जारी रखा। इस प्रकार पारिवारिक बजट के अध्ययन में योजनाबद्ध तरीके से ट्रेड यूनियन आंदोलन को नजरअंदाज करने की कोशिश की गयी।

इस तरह से पारिवारिक बजट का अध्ययन करने के बाद सरकार ने वर्ष 1982 के आधार पर सूचकांक तैयार करने की जरूरी तैयारी कर ली। राष्ट्रीय अभियान समिति ने केंद्रीय श्रम मंत्रालय को एक ज्ञापन दिया जिसे भारत सरकार ने बड़ी आसानी से नजरअंदाज कर दिया।

सील समिति ने रथ समिति की कुछ सिफारिशों में फेरबदल किए और ऐसे सुझाव दिए जो मूल्य सूचकांक के सही संकलन के खिलाफ हैं। आमतौर पर राशन की दुकानों पर घटिया किस्म की चीजें मिलती हैं और उनकी विशिष्टता पारिवारिक बजट के अध्ययन के बाद तय की गई आरंभिक विशिष्टता के मुताबिक नहीं होती। रथ समिति ने इसीलिए क्वालिटी में परिवर्तन के लिए संयोजन का तरीका अपनाने का सुझाव दिया था। लेकिन सील समिति ने कहा कि राशन की दुकान पर मिलने वाली चीजों की क्वालिटी में परिवर्तन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि जब कभी भी राशन की दुकानों से घटिया क्वालिटी की चीजें सप्लाई की जाएंगी, तब मूल्य सूचकांक कीमतों में वास्तविक वृद्धि को प्रदर्शित नहीं करेंगे। भारत सरकार ने सील समिति की सिफारिशों को मान लिया है।

उन क्षेत्रों में जहां व्यावहारिक दिक्कतों के कारण संशोधित राशनिंग जारी है, कुछ चीजों की उपलब्धि मात्र को उस चीज की कीमत इकट्ठा करने के लिए उचित नहीं समझा जा सकता क्योंकि लोग राशन के दुकान से घटिया दर्जे की चीजें खरीदना नहीं चाहते। वे खुलेबाजार से अच्छी चीजें खरीदना पसंद करते हैं और वहां कीमतें ज्यादा होती हैं। रथ समिति ने इसलिए यह सुझाव दिया था कि राशन की दुकानों पर किसी वस्तु का उपलब्ध होना मूल्य सूचकांक के संकलन का मापदंड नहीं हो सकता। राशन की कीमतों का भार वहां से बिकी चीजों के आधार पर होना चाहिए न कि उस चीज के उपलब्ध होने के आधार पर। सील समिति ने सिफारिश की कि किसी चीज की दुकान पर केवल उपलब्धी की मौजूदा परंपरा जारी रखनी चाहिए और सरकार ने सील समिति की इस सिफारिश को मंजूर कर लिया है। इसका मतलब यह है कि यदि मजदूर राशन की दुकान से कोई वस्तु इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वह घटिया है और इसलिए वे खुलेबाजार से महंगी कीमतों पर अच्छी चीजें खरीदते हैं तो कीमतें इकट्ठी करने वाले अधिकारी राशन की दुकान पर उपलब्ध मात्रा के आधार पर राशन की कीमतों के भार को मानेंगे और वे खुले बाजार की कीमतों को नजरअंदाज कर देंगे।

आवास सूचकांक को कम करना

आवास सूचकांक के बारे में रथ समिति ने सुझाव दिया कि नयी श्रृंखला लागू होने के बाद बने नए मकानों को भी कुछ 'भार' दिया जाना चाहिए ताकि नए मकानों के लिए दिए जाने वाले ज्यादा किराए को भी सूचकांक के संकलन के समय ध्यान में रखा जा सके। यह सिफारिश इसलिए की गई थी क्योंकि आंकड़े इकट्ठे करने के लिए मकान पहले से ही निर्धारित थे, लेकिन किराया नियंत्रण कानून तथा पगड़ी आदि की अदायगी जैसे दस्तुरों के कारण मकानों के किराये में कोई वृद्धि नहीं लगती या फिर इसमें मामूली सी ही वृद्धि नजर आती है। नए मकानों में किराए बहुत ज्यादा हैं और मजदूरों को ये किराए अदा ही करने पड़ते हैं। मकान किराया कोई ऐसी चीज नहीं है जो दैनिक इस्तेमाल की हो और यदि एक ही मकान में हर छः महीने के बाद जाया जाए तो बढ़ते किराओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता। लेकिन सील समिति ने नए किराए को ध्यान में रखने का प्रस्ताव नामंजूर कर दिया। इसके कारण मकान किराया सूचकांक काफी कम रहेगा। कपड़े की चीजों के बारे में सूचकांक अधिकारी मिलों की रिटेल दुकानों पर ही निर्भर करते हैं। ये दुकानें कुछ कपड़े केवल सांकेतिक तौर पर रखते हैं और वे व्यापक बिक्री के लिए नहीं लेते तथा उनके दाम अधिकारियों को कम बताए जाते हैं। इस प्रक्रिया को चलते देने से कपड़े की चीजों का सूचकांक कम ही रहेगा। सील समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप सूचकांक के संकलन में धोखाधड़ी जारी रहेगी और सूचकांक असलियत से ज्यादा से ज्यादा दूर होता जाएगा।

क्योंकि पारिवारिक बजट का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से नहीं हुआ है इसलिए 'भार-चित्र' गलत है। इसके परिणामस्वरूप उन चीजों का भार, जिनकी कीमत धीरे धीरे बढ़ रही है, बढ़ गया है जबकि उन चीजों का भार, जिनकी कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, कम हो गया है। नीचे दी गई सारिणी में दोनों श्रृंखलाओं का अखिल भारतीय भार-नमूना दिया गया है :

ग्रुप	1960	1982
1 खादय ग्रुप	60.92	57.00
2 पान, सुपारी, तंबाकू व मादक द्रव्य	4.79	3.15
3 ईंधन व प्रकाश	5.77	6.28
4 आवास	6.26	8.67
5 कपड़ा, बिस्तर व जुते आदि	8.54	8.54
6 फुटकर चीजें व चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, परिवहन, व्यक्तिगत सुविधा, सेवाएं आदि	13.72	16.36
	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>

नयी श्रृंखला के मनमाने ढंग से लागू किए जाने का
विरोध करो

परिशिष्ट - I में पुरानी श्रृंखला व नयी श्रृंखला को सूचकांक में 1983 के लिए परिवर्तन दिखाया गया है। जनवरी से दिसंबर 1983 तक तीन-चौथाई केंद्रों में पुरानी श्रृंखला ज्यादा वृद्धि दिखाती है जबकि नयी श्रृंखला में यह कम है। सूचकांक के संकलन की प्रक्रिया में धांधली होने के कारण ही यह फर्क है। इस परिशिष्ट में उन्हीं केंद्रों के आंकड़े दिए गए हैं जो दोनों ही श्रृंखलाओं में हैं और उन केंद्रों को छोड़ दिया गया है जिन्हें 1982 की श्रृंखला में शामिल नहीं किया गया है। परिशिष्ट-II में यह दिखाया गया है कि वर्ष 1960 व 1982 पर आधारित सूचकांक किस प्रकार से 1985 के लिए परिवर्तित हो रहे हैं। क्योंकि 1982 में वर्ष 1960 पर आधारित सूचकांक का औसत 475 था इसलिए परिवर्तन गुणक 4.75 तय कर दिया गया। इस सारिणी से साफ स्पष्ट है कि मौजूदा श्रृंखला के मुकाबले 1982 की श्रृंखला के सूचकांक 14 से 23 बिंदुओं का नुक्सान होता है। इसके कारण मजदूरों को एक साल में महंगाई भत्ते को तय किए जाने की प्रक्रिया में मजदूरों को 229 बिंदुओं का नुक्सान होता है। इसके कारण मजदूरों को एक साल में महंगाई भत्ते का करीब 400 करोड़ रुपये का नुक्सान होता है। आगे आने वाले समय में सूचकांक के बढ़ने से यह नुक्सान और भी ज्यादा हो जाएगा। यह नयी श्रृंखला में धीमी गति से परिवर्तन की वजह से होगा। इसलिए नयी श्रृंखला को स्वीकार करने से मजदूरों की आय को गंभीर हानि होगी और व्यवहारतः उन्हें उचित भरपाई से वंचित रखा जाएगा। इस इरादे को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने कई बहाने लगाए हैं।

इसलिए पुरानी श्रृंखला में सुधार किए बिना नयी श्रृंखला को लागू किए जाने के खिलाफ तथा वर्ष 1982 पर आधारित नयी श्रृंखला तैयार करने के लिए अपनाई गई गैर वैज्ञानिक प्रक्रिया में सुधार कराने के लिए ट्रेड यूनियन आंदोलन को कटिबद्ध होकर आगे बढ़ना होगा।

इसमें कोई शक नहीं है कि समूचे देश में ट्रेड यूनियन आंदोलन इस मौके पर आगे बढ़ेगा तथा भारत सरकार को मनमाने ढंग से नयी श्रृंखला लागू न करने के लिए मजबूर करेगा। इसके साथ ही वह सरकार को इसके लिए भी मजबूर करेगा कि वह समूचे विषय पर ट्रेड यूनियन आंदोलन के साथ बातचीत करे ताकि सूचकांक संकलन की मशीनरी लक्ष्यपूर्ण बन सके तथा यह मशीनरी सही कीमतों को इकट्ठा करे ताकि सूचकांक कीमतों में वृद्धि को सही तरह से दिखा सके।

मूल्य सूचकांक क्या है

इसमें कोई शक नहीं है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक तकनीकी विषय है लेकिन यह कहना कि मजदूर इसे समझ नहीं सकता बिलकुल निराधार है। इसके बारे में मजदूरों को बताना जरूरी है ताकि वे इसके धोखाधड़ी वाले चरित्र के खिलाफ कारगरता के साथ लड़ सकें।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उपभोक्ता द्वारा हर महीने या हर साल अदा की गई कीमतों में परिवर्तन बताता है। बेहतर तुलना व समझ के लिए इसमें परिवर्तन को

प्रतिशत में दिखाया जाता है और यह हमेशा 100 से शुरू होता है । एकसमान उपभोग न होने के कारण विभिन्न सामाजिक ग्रुपों के लिए विभिन्न सूचकांक संकलित किए जाते हैं । उदाहरण के लिए, भारत में मजदूर वर्ग, मध्य वर्ग व खेत मजदूरों के लिए अलग अलग मूल्य सूचकांक हैं ।

कीमतों को तुल्य बनाने के लिए यह जरूरी है कि उपभोग की वस्तुओं को तय किया जाए और इन वस्तुओं को 'वस्तुओं व सेवाओं की टोकरी' कहा जाता है । मई 1985 में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1960 = 100 के आधार पर 600 था । इसका मतलब यह है कि 1960 में वस्तुओं की कीमतों की तुलना में अब उनकी कीमतें 6 गुणा हैं ।

लेकिन टोकरी की सभी चीजों के दाम एक ही दर से नहीं बढ़ते हैं । यदि टोकरी में 60 चीजें हैं तो एक महीने या एक साल में प्रतिशत वृद्धियां 60 होंगी । सभी का एक सूचकांक बनाने के लिए सभी सूचकांकों का साधारण औसत निकालना उचित होगा । उपभोग की विभिन्न वस्तुओं पर मजदूर बराबर बराबर पैसा खर्च नहीं करते हैं । गरीब लोग अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा खाने की चीजों तथा जीवन के लिए बहुत जरूरी चीजों को खरीदने पर लगाते हैं जबकि ऐश्वर्य की चीजों पर बहुत कम खर्च होता है । यहां तक कि खाने की महंगी चीजों का भी वे उपभोग नहीं करते । टोकरी की हर वस्तु की महत्ता को देखते हुए एक तकनीकी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिसे 'भार' कहते हैं । टोकरी की कुल वस्तुओं व सेवाओं में से किसी वस्तु का प्रतिशत उपभोग उसका भार कहलाता है । इस तरह हम एक महीने या एक साल में कीमतों में परिवर्तन को ठीक तरह से प्रदर्शित करने के लिए भारित-औसत निकाल सकते हैं । हम बाद में यह देखेंगे कि भारित-औसत किस प्रकार निकाला जाता है ।

उपभोग का नमूना तथा उपभोग की हर वस्तु का भार ज्ञात करने के लिए यह जरूरी है कि मूल्य सूचकांक के संकलन में शामिल की जाने वाली चीजों के लिए हर केंद्र के लिए पारिवारिक बजट की जांच की जाए । यह जांच सामान्य वर्ष में की जानी चाहिए जब कीमतों में ज्यादा परिवर्तन न हो रहे हों । इस जांच के परिणामों को आधार वर्ष के लिए मूल्य सूचकांक तय करने में इस्तेमाल किया जाता है । आधार वर्ष में सूचकांक हमेशा 100 माना जाता है ।

पारिवारिक बजट सर्वेक्षण

केंद्र चुन लिए जाने के बाद उस केंद्र के हर मजदूर वर्ग-परिवार के लिए पारिवारिक बजट का अध्ययन करना संभव नहीं है । सर्वेक्षण के लिए केवल नमूने के परिवारों का ही अध्ययन करना पड़ता है । करीब एक साल तक सर्वेक्षण करना पड़ता है क्योंकि सभी चीजों का पता लगाना जरूरी है । उदाहरण के लिए, ऊनी कपड़ों को गर्मी के मौसम में शामिल नहीं किया जाता और छोटे को वर्षाकाल के अलावा किसी भी मौसम में गिना नहीं जाता । भिन्न भिन्न मौसमों में सब्जियों की खपत भी भिन्न भिन्न हो जाती है । अतः आम तौर पर एक साल में चार बार आंकड़े इकट्ठे किए

जाते हैं जबकि कुछ तकनीकी विशेषज्ञ हर महीने आंकड़े इकट्ठे करने का सुझाव देते हैं। पारिवारिक बजट की जांच से हमें पता चलता है कि कोई परिवार कितना बड़ा है और उसमें कौन कौन हैं, उस परिवार में कमाने वाले कितने हैं, उसकी आमदनी व खर्च कितना है और वह अपना गुजारा किस प्रकार करता है। पारिवारिक बजट की जांच करने वाले अधिकारी सारे साल मजदूरों द्वारा उपभोग की गई सभी वस्तुओं का ब्यौरा लेते हैं। व्यापक तौर से इस अध्ययन के ग्रुप नीचे दिए गए हैं :

- 1 खाद्य पदार्थ - चावल, आटा, दालें, चीनी, दूध, मांस, मछली, मसाले, तेल आदि।
- 2 ईंधन व प्रकाश - मिट्टी का तेल, जलाने की लकड़ी, कोयला, माचिस, बिजली, गैस आदि।
- 3 कपड़ा व जूते आदि - धोती, साड़ी, कमीज का कपड़ा, कच्चे-बनियान, बिस्तर, ऊनी कपड़े, चप्पल, जूते आदि।
- 4 आवास - समय समय पर अदा किया गया मकान किराया।
- 5 फुटकर चीजें - पान, सुपारी, कपड़े धोने का साबुन, सिर का तेल, नाई की दरें, बस व रेल किराया, डाक्टर की फीस, शिक्षा, समाचार पत्र आदि।

उपभोग की गयी सभी वस्तुओं का पूरा ब्यौरा इकट्ठा करना जरूरी है ताकि बाद में उन्हीं विशिष्टताओं को उसी प्रकार की चीजों के दाम इकट्ठा करने में इस्तेमाल किया जा सके।

अध्ययन पूरा हो जाने के बाद औसत बजट बनाया जाता है जो आम तौर पर मजदूर वर्ग के परिवारों द्वारा उपभोग की गयी वस्तुओं पर खर्च का नमूना पेश करता है।

भारत में उपभोग की कुल वस्तुओं की संख्या 600 से ज्यादा है इसलिए उन सब को टोकरी निर्धारित करते समय ध्यान में रखना संभव नहीं है। इसलिए उपभोग की किसी प्रतिनिधि-वस्तु को लेना जरूरी है और किसी छोटी वस्तु का भार किसी प्रमुख वस्तु के भार में जोड़ दिया जाता है। यह मानकर चला जाता है कि छोटी वस्तु व प्रमुख वस्तु के भार में एकसमान दर से वृद्धि होती है। इस तरीके का तकनीकी नाम है अभ्यारोपण, इसका अर्थ है छोटी छोटी वस्तुओं के दाम प्रमुख वस्तुओं के दामों पर मंठ देना। उदाहरण के लिए, किसी केंद्र में 'पालक' का प्रमुखतः उपभोग होता है तो पत्तेदार सभी सब्जियों का भार पालक के भार में जोड़ दिया जाता है। इसी तरह खंडसारी शक्कर का भार चीनी के भार में जोड़ दिया जाता है।

इस प्रकार टोकरी की सभी चीजों का चयन कर लिए जाने के बाद इन सबके कुल भार को 100 माना जाता है क्योंकि हर चीज को टोकरी की सभी चीजों के कुल भार के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। टोकरी को इस प्रकार अंतिम रूप दिया जाने के बाद केवल विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, श्रृंखला के काल के दौरान बदला नहीं जाता।

कीमतेँ इकट्ठा करने की मशीनरी

पारिवारिक बजट की जांच के बाद कीमतें इकट्ठा करने की अनुसूची बनाई जाती है जिसमें वस्तु का नाम उसकी विशिष्टता व ग्रेड, और वह मात्रा जिसमें आमतौर पर मजदूर इन चीजों को खरीदते हैं आदि भी दी जाती हैं। उसके बाद कुछ उन बाजारों को चुना जाता है जहाँ से मजदूर आमतौर पर चीजें खरीदते हैं। एक बाजार में दो या ज्यादा दुकानों से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं ताकि आंकड़े सही हों। क्योंकि कीमतें हर सप्ताह बदल जाती हैं इसलिए उन्हें हर सप्ताह इकट्ठा किया जाता है। कीमतें इकट्ठी करने का दिन भी वही नियत किया जाता है जिसदिन आमतौर पर मजदूर खरीदारी करते हैं, पत्तेदार सब्जियों जैसी खराब होने वाली वस्तुओं के दाम सुबह से शाम तक बदल जाते हैं क्योंकि वे शाम तक मुर्झा जाती हैं व उनके इसलिए दाम कम हो जाते हैं। अतः ऐसी वस्तुओं के दाम इकट्ठा करने के लिए खास समय भी निर्धारित किया जाता है।

यह जरूरी है कि ये कीमतें खुदरा हों न कि थोक की। मजदूर आमतौर पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में चीजें खरीदते हैं। कीमतों की कुछ अनुसूचियों में हरी मिर्च, जीरा, आदि की कीमतों के सेर या किलोग्राम में शामिल किया गया था। यह बहुत ही गलत है क्योंकि यह कीमतों में वृद्धि की सही तस्वीर पेश नहीं करता।

कीमतें इकट्ठी करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है वस्तुओं की क्वालिटी में परिवर्तन। यदि आरंभिक विशिष्टता के अनुसार मध्य श्रेणी की धोती की कीमत इकट्ठा की जानी है और किसी महीने उसकी बजाए घटिया क्वालिटी की धोती के दाम इकट्ठे कर लिए जाते हैं तो इससे एक ही क्वालिटी की चीज के दामों में तुलना नहीं होती। इसलिए सूचकांक घट जाता है। वास्तव में दूसरे देशों में कीमतें इकट्ठी करने के लिए चुनी गई विभिन्न क्वालिटियों की चीजों के नमूनों को संभाल कर रखा जाता है। लेकिन यह प्रणाली भारत में लागू नहीं है। इसलिए यह साफ जाहिर है कि मौजूदा हालात में क्वालिटी में परिवर्तन को ठीक तरह से सत्यापित नहीं किया जा सकता।

यदि बाजार में आरंभिक विशिष्टता की चीज उपलब्ध नहीं है तो आमतौर पर उसी क्वालिटी के दायरे में दूसरी किस्म के दाम चुन लिए जाते हैं। इस तरीके को 'प्रतिस्थापन' कहते हैं। कपड़े की वस्तुओं के मामले में इस तरीके का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। प्रतिस्थापन करते समय दोनों चीजों की क्वालिटी में एकसमानता होना बहुत ही जरूरी है। कीमतों के साथ साथ वस्तु के रंग, बनावट, स्वाद, टिकाऊपन आदि जैसे भौतिक गुणों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

यह हो सकता है कि किसी समय बाजार में आरंभिक विशिष्टता के तुल्य कोई भी किस्म उपलब्ध न हो। ऐसे हालात में यह पता लगाने के लिए कि आरंभिक विशिष्टता की वस्तु की तुलना में बाजार में आने वाली नयी चीज किस प्रकार की है, ऐसी चीजों का कई महीनों तक पूरा ब्यौरा इकट्ठा किया जाता है। क्वालिटी में फर्क का अध्ययन किया जाता है और आरंभिक व नयी चीजों के आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद 'संयोजन' नाम के तरीके की मदद से नयी चीज लागू कर दी जाती है। लेकिन यदि इस तरीके को सावधानी के साथ नहीं अपनाया जाता तो मूल्य सूचकांक की प्रणाली में कई त्रुटियाँ पैदा हो जाती हैं।

कीमतेँ इकट्ठा करने की मशीनरी मूल्य सूचकांक के संकलन की एक महत्वपूर्ण पहलू है । इसी कारण से काफी संख्या में गलतियाँ भी पाई जाती हैं । बार बार गलत तरह से प्रतिस्थापन किया जाता है । अनेक मामलों में उचित संयोजन नहीं किया जाता या संयोजन के तरीके का इस्तेमाल किए बिना ही घटिया चीजों के दाम इकट्ठे कर लिए जाते हैं ।

अनेक बार छलकपट करके कीमतों में वृद्धि कर दी जाती है और कीमतें इकट्ठा करने की मौजूदा मशीनरी द्वारा इसे नोट नहीं किया जाता । हालाँकि कीमतें इकट्ठी करने वालों का उचित प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन इसे केवल प्रशिक्षण की समस्या के रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिए । कीमतें इकट्ठी करने की मशीनरी में जानबूझकर गैरवैज्ञानिक तरीके डाल दिए गए हैं जिसके कारण मूल्य सूचकांक असलियत से नीचे रहा है और यह धांधली बरतों से चली आ रही है । पूँजीवादी प्रणाली में सूचकांक के स्तर को नीचे रखने के लिए तरीके व उपाय सुझाने के लिए विशेषज्ञों की कमी नहीं है । सूचकांक का स्तर नीचे किए रखना पूँजीपतियों के पक्ष में है लेकिन मजदूर वर्ग को इससे भारी नुकसान होता है ।

मूल्य सूचकांक का संकलन

महीने के दौरान निर्धारित संख्या में दुकानों से कीमतें हर सप्ताह इकट्ठी की जाती हैं । फिर हर वस्तु के लिए औसत निकाल लिया जाता है ताकि कीमतों का मासिक औसत निकाला जा सके । उदाहरण के लिए, किसी महीने चावल की कीमत इस प्रकार निकाली जा सकती है :

चावल की औसत कीमत
(गुरुमुतिया, टूटा हुआ, मध्यम)

(रुपये में)

	बाजार - 1		बाजार - 2		औसत कीमत
	दुकान-1	दुकान-2	दुकान-3	दुकान-4	
सप्ताह-1	4.25	4.30	4.30	4.25	4.27
सप्ताह-2	4.30	4.35	4.30	4.30	4.31
सप्ताह-3	4.25	4.35	4.35	4.30	4.31
सप्ताह-4	4.40	4.40	4.35	4.35	4.37
औसत कीमत					4.32

इस प्रकार उस महीने के लिए औसत कीमत ₹0 4.32 है ।

आधार वर्ष में चावल की कीमत रु 1.30 थी । इस कीमत को आधार कीमत होने के कारण 100 माना जाता है । इस तरह उस महीने के लिए चावल का सूचकांक इस प्रकार होगा :

$$4.32 - 1.30 \times 100 = 332$$

अतः उस महीने के लिए चावल का सूचकांक 332 होगा ।

किसी वस्तु का सूचकांक तकनीकी भाषा में 'मूल्य सापेक्ष' कहलाता है । इस तरह टोकरी की हर वस्तुओं के लिए हर महीने 'मूल्य सापेक्ष' निकाला जाता है ।

किसी केंद्र के लिए किसी महीने का सामान्य सूचकांक ज्ञात करने के लिए उस महीने के सभी मूल्य सापेक्षों का भारित औसत निकाला जाता है । किसी वस्तु के मूल्य सापेक्ष को उसके भार से गुना कर दिया जाता है । ऐसा हर वस्तु के लिए किया जाता है । गुना करने के बाद प्राप्त की गई सभी संख्याओं को जोड़कर 100 से भाग कर दिया जाता है और इस प्रकार महीने का सामान्य सूचकांक प्राप्त हो जाता है । विभिन्न ग्रुपों के सूचकांकों से सामान्य सूचकांक निकालने का तरीका स्पष्ट हो जाएगा :

सामान्य सूचकांक का संकलन

ग्रुप	ग्रुप भार सूचकांक (क)	ग्रुप सूचकांक (ख)	गुणनफल (क × ख)
खाद्य पदार्थ	61.0	621.6	37916
ईंधन व प्रकाश	2.8	584.4	5144
मकान किराया	6.4	400.0	2640
कपड़े आदि	10.8	812.0	8768
फुटकर	13.0	671.2	8724
	100.0		63112
			631.00

इस तरह उस महीने के लिए सामान्य सूचकांक 631 होगा ।

साल के दौरान सभी 12 मासिक सूचकांकों के साधारण औसत के आधार पर वार्षिक सूचकांक निकाला जा सकता है ।

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पता लगाने का तरीका भी यही है । हर केन्द्र को भी एक भार दिया जाता है और यह भार समूचे देश के कुल कर्मचारियों

की तुलना में उस केन्द्र के कर्मचारियों की प्रतिशत के बराबर होता है । किसी केंद्र के सामान्य सूचकांक को उसके भार से गुना किया जाता है । फिर इस गुणनफल को जोड़ा जाता है और फिर 100 से इसे भाग किया जाता है — यह संख्या उस महीने के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होती है । किसी वर्ष के लिए अखिल भारतीय सूचकांक ज्ञात करने के लिए उस वर्ष के दौरान के 12 मासिक सूचकांकों का साधारण औसत निकाला जाता है ।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संकलन के तरीके का यह संक्षिप्त विवरण है । यदि सही कोशिशें की जाएं तो यह उन मजदूरों को आसानी से समझाया जा सकता है जिन्हें गणित की थोड़ी सी जानकारी है ।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को अक्सर जीवनयापन के खर्च का सूचकांक भी कहा जाता है । यह ठीक नहीं है । उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कीमतों में परिवर्तन के अलावा और किसी बात का ध्यान नहीं रखा जाता । जबकि जीवनयापन के खर्च के सूचकांक में कीमतों में परिवर्तन तो केवल एक ही पहलु है और इसके अलावा आमदनी, स्वाद, चीजों की मात्रा व क्वालिटी और उपभोग की गयी सेवाएं आदि जैसे पहलुओं का भी बहुत अधिक महत्व है । उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जीवनयापन के एक ही स्तर के लिए कीमतों में परिवर्तन ज्ञात किया जाता है । अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार जीवनयापन के खर्च के सूचकांक को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नाम देने का जब सरकार ने फैसला लिया तो इस फर्क को ध्यान में रखा गया ।

वर्ष 1983 के लिए 1960 व 1982 के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य)

केंद्र	उ. मू. सू. 1960 = 100		उ. मू. सू. 1982 = 100		जन से दिस में सूचकांक में वृद्धि	
	जन	दिस	जन	दिस	1960=100	1982=100
	1983	1983	1983	1983	1960=100	1982=100
<u>आंध्र प्रदेश</u>						
1 गुडूर	470	486	103	107	3	4
2 गुंटूर	533	595	104	116	12	12
3 हैदराबाद	492	558	102	111	13	9
<u>असम</u>						
4 लबाक	383	431	100	110	13	10
सिलचार						
5 मरियानी	388	484	105	119	25	13
जोरहट						
6 रंगापाड़ा	384	456	100	117	19	17
7 तेजपुर	403	467	100	117	16	17
तिनसुकिया						
दूमदुमा						
8 जमशेदपुर	459	526	102	114	15	12
9 झारिया	478	527	103	115	10	12
10 नोआमंडी	496	542	104	110	8	6
11 मोघिर	526	570	101	108	8	7
जमलपुर						
12 कोडर्मा	547	584	104	113	7	9
<u>दिल्ली</u>						
13 दिल्ली	511	561	101	112	10	11

1	2	3	4	5	6	7
<u>गुजरात</u>						
14 अहमदाबाद	496	557	103	113	12	10
15 भावनगर	505	566	104	112	12	8
<u>हरियाणा</u>						
16 यमुना नगर	516	558	102	109	8	7
<u>जम्मू व काश्मीर</u>						
17 श्रीनगर	523	579	102	111	11	9
<u>कर्नाटक</u>						
18 बंगलोर	548	625	102	113	14	11
<u>केरल</u>						
19 आलवाइ	522	614	104	116	18	12
20 मुंदाकयम	488	577	107	118	18	10
21 कूनूर	488	630	103	127	29	23
<u>महाराष्ट्र</u>						
22 बंबई	519	569	108	117	10	8
23 नागपुर	519	569	104	112	10	8
24 शोलापुर	518	607	102	117	17	15
<u>उड़ीसा</u>						
25 बारबिल	487	519	107	110	7	3
<u>पंजाब</u>						
26 अमृतसर	501	540	102	108	8	6

1	2	3	4	5	6	7
<u>राजस्थान</u>						
27 अजमेर	509	543	101	110	7	9
28 जयपुर	530	570	102	108	8	6
<u>तमिलनाडु</u>						
29 कोयमबतूर	510	606	104	122	19	17
30 मद्रास	489	562	103	115	15	12
31 मदुरई	534	646	105	123	21	17
<u>उत्तर प्रदेश</u>						
32 कानपुर	476	536	104	115	13	11
33 वाराणसी	558	629	104	118	13	13
34 सहारनपुर	514	547	105	109	6	4
<u>पश्चिम बंगाल</u>						
35 आसनसोल	494	540	101	112	9	11
36 कलकत्ता	452	525	102	114	16	12
37 दार्जिलिंग	411	469	103	112	14	9
38 हावड़ा	440	501	101	114	14	13
39 जलपाइगुड़ी	389	430	101	114	11	13
40 रानीगंज	478	526	102	117	10	15
<u>मध्य प्रदेश</u>						
41 बालाघाट	516	574	102	114	11	12
42 भोपाल	531	598	101	112	13	10
43 इंदौर	536	588	101	111	10	10
44 जबलपुर	655	737	104	116	13	12

1985 के दौरान 1960 व 1982 के आधार पर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन

महीना	उ. मू. सू. 1982=100	उ. मू. सू. 1960=100	आधार 1960 में परिवर्तित आधार 1982 का उ. मू. सू.	बिंदुओं में अंतर
औसत सूचकांक 1982	100	475	परिवर्तन गुणक 4.75	
<u>1985</u>				
जनवरी	119	588	565	23
फरवरी	119	585	565	20
मार्च	120	586	570	16
अप्रैल	122	594	579	15
मई	123	600	584	14
जून	124	606	589	17
जुलाई	126	615	598	17
अगस्त	126	618	598	20
सितंबर	126	619	598	21
अक्टूबर	127	625	603	22
नवंबर	128	630	608	22
दिसंबर	128	630	608	22

आधार 1982=100 तथा आधार 1960=100 पर अखिल भारतीय
उ मू सू के संकलन के लिए इस्तेमाल किया गया केंद्रानुसार भार

राज्य/केंद्र	भार			
	1982 श्रृंखला	1960 श्रृंखला		
	1	2	3	
आंध्र प्रदेश	1	गुडूर	0.75	0.34
	2	गुंटूर	1.11	1.48
	3	हैदराबाद	1.63	2.17
	4	विशाखापटनम	1.63	—
	5	वारांगल	1.54	—
		कुल	6.66	3.99
असम	6	डिगबोई	—	2.32
	7	दम-हमा-तिनसुकिया	0.57	1.27
	8	नौहाटी	0.66	—
	9	लबाक-सिलचार	0.44	1.01
	10	मरियानी-जोरहट	0.51	1.26
	11	रंगापाड़ा-तेजपुर	0.63	1.21
	कुल	2.81	7.07	
बिहार	12	जमशेदपुर	1.63	2.74
	13	झारिया	2.39	1.93
	14	कोडर्मा	0.59	0.62
	15	मोघिर-जमलपुर	1.10	2.30
	16	नोआमंडी	1.22	0.34
	17	रांची-हटिया	1.35	—
		कुल	8.28	8.43

	1	2	3
गुजरात	18 अहमदाबाद	2.74	4.17
	19 बड़ौदा	0.88	—
	20 भावनगर	0.99	4.22
	21 राजकोट	1.17	—
	22 सूरत	0.86	—
	कुल	6.64	8.89
हरियाणा	23 फरीदाबाद	1.17	—
	24 यमुनानगर	1.05	1.05
	कुल	2.22	1.05
जम्मू व काश्मीर	25 श्रीनगर	0.22	0.18
	कुल	0.22	0.18
कर्नाटक	26 अम्माथी	—	0.85
	27 बंगलूर	3.27	4.29
	28 बेलगाम	.133	—
	29 चिकमंगलूर	—	0.71
	30 कोलार गोल्डफील्ड	—	1.04
	31 हुब्ली-धारवार	1.29	—
	32 मरकारा	1.16	—
	कुल	7.05	6.89
केरल	33 अल्लेपी	—	1.23
	34 आलवाड़	1.58	2.02
	35 मुंदाकयम	1.01	2.73
	36 किलो	0.58	—
	37 त्रिवेंद्रम	1.02	—
	कुल	4.19	5.98

	1	2	3
मध्य प्रदेश	38 बालाघाट	1.37	0.97
	39 भिलाई	1.91	—
	40 भोपाल	1.51	1.09
	41 ग्वालियर	—	1.16
	42 इंदौर	1.28	1.12
	43 जबलपुर	1.32	—
	44 बंबई	7.87	8.48
	45 नागपुर	1.56	4.49
	46 नासिक	2.04	—
	47 पुना	1.94	—
	48 शोलापुर	1.24	3.23
	कुल	14.65	16.20
उड़ीसा	49 बारबिल	0.80	0.39
	50 राउरकेला	1.67	—
	51 संबलपुर	—	0.24
	कुल	2.47	0.63
पंजाब	52 अमृतसर	1.86	1.28
	53 लुधियाना	1.17	—
	कुल	3.03	1.28
राजस्थान	54 अजमेर	1.59	0.93
	55 जयपुर	1.25	0.64
	कुल	2.84	1.57
तमिलनाडु	56 कोयंबतूर	1.89	2.43
	57 कूनूर	1.54	1.82
	58 मद्रास	3.47	2.62
	59 मदुरई	1.51	2.72
	60 सेलान	1.16	—
	61 तिरुचिरापल्ली	1.35	—
	कुल	10.92	9.59

उत्तर प्रदेश	62	आगरा	1.09	—
	63	गाजियाबाद	1.27	—
	64	कानपुर	1.30	1.76
	65	सहारनपुर	1.68	2.38
	66	वाराणसी	1.42	1.99
		कुल	<u>6.76</u>	<u>6.13</u>
पश्चिम बंगाल	67	आसनसोल	1.00	3.52
	68	कलकत्ता	4.24	6.22
	69	दार्जिलिंग	0.59	0.58
	70	दुर्गापुर	0.98	—
	71	हल्दिया	0.83	—
	72	हावड़ा	1.78	2.89
	73	जलपाईगुड़ी	0.94	1.74
	74	रानीगंज	1.31	1.79
		कुल	<u>11.67</u>	<u>16.74</u>
चंडीगढ़	75	चंडीगढ़	0.16	—
		कुल	<u>0.16</u>	<u>—</u>
दिल्ली	76	दिल्ली	1.79	1.44
		कुल	<u>1.79</u>	<u>1.44</u>
पांडेचेरी	77	पांडेचेरी	0.25	—
		कुल	<u>0.25</u>	<u>—</u>
		कुल जोड़	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>